



2026:AHC:54259

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2561 सन् 2026

अजय गुप्ता @ साहू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी

---

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार तिवारी, संगम लाल केशरवानी

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

---

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संगम लाल केशरवानी, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह, को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान आवेदन, मामला अपराध संख्या 23/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 319(2), 340(2) बी.एन.एस. एवं सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी एवं 66 डी के अंतर्गत, थाना नवाबगंज (गंगानगर कमिशनरेट), जिला प्रयागराज में, इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है एवं उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम गिरफ्तार सह-अभियुक्त अनीश कुमार पटेल और सुरेंद्र गुप्ता के इकबालिया बयान में सामने आया है तथा यह आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तार सह-अभियुक्तगण जाली एवं कूटरचित आधार कार्ड बनाने में संलिप्त थे, तथापि उनके कब्जे से बरामद तीन आधार कार्ड वास्तविक पाए गए हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक उस परिसर का स्वामी बताया जाता है जहाँ से उक्त सह-अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वचन देता है तथा जब भी जाँच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यक हो, उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं जाँच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह निवेदन किया है कि आवेदक का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 323, 353, 447, 504, 506 एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 से संबंधित आपराधिक इतिहास रहा है।

5. आवेदक का नाम गिरफ्तार सह-अभियुक्त अनीश कुमार पटेल और सुरेंद्र गुप्ता के इकबालिया बयान में सामने आया है तथा यह आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तार सह-अभियुक्तगण जाली एवं कूटरचित आधार कार्ड बनाने में संलिप्त थे, तथापि उनके कब्जे से बरामद तीन आधार कार्ड वास्तविक पाए गए हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक उस परिसर का स्वामी बताया जाता है जहाँ से उक्त सह-अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका पर न्याय निर्णयन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और यह कि न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

7. प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कथित घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है, गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - अजय गुप्ता @ साहू की गिरफ्तारी की दशा में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंध-पत्र,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;
- (iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

आर.के.एम.